



सोनभद्र पुलिस



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 16.10.2026

Operation Conviction : सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या सहित अन्य गंभीर अपराधों में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹65,000/- अर्थदण्ड की सजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री **अभिषेक वर्मा** के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **“Operation Conviction”** अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप **थाना जुगैल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-124/2015, धारा 302, 394, 201, 411 भादवि एवं धारा 3(2) एससी/एसटी एक्ट** से संबंधित अभियोग में माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी, सोनभद्र द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र बरगाही पुत्र राम किशोर, निवासी खमरिया टोला, चौरा थाना चचाई, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का विवरण-

थाना – जुगैल, जनपद सोनभद्र

मु0अ0सं0 – 124/2015

एसटी संख्या – 61/2015

धारा – 302, 394, 201, 411 भादवि एवं धारा 3(2) एससी/एसटी एक्ट

दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण-

सुरेन्द्र बरगाही पुत्र राम किशोर, निवासी खमरिया टोला, चौरा थाना चचाई, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश।

आज दिनांक 16.10.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा का विवरण—

धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹25,000/- अर्थदण्ड।

धारा 3(2) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं ₹20,000/- अर्थदण्ड।

धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड।

धारा 394 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10,000/- अर्थदण्ड।

धारा 411 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदण्ड अदा न करने पर नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

थाना जुगैल पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों के सुदृढ़ संकलन, अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रभावी न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहरीर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए माननीय न्यायालय से प्रभावी सजा सुनिश्चित कराई गई।